


25.02.2021

पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हाजिर नहीं आया।

अतः वादी के वादपत्र, को वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

